इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 121]　　भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2011—चैत्र 4, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मार्च, 2011

अधिसूचना क्र. 26 एफ-6-5-2011-अठारह-3.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को दी जाने वाली "परफार्मेंस ग्रांट" के लिए निर्धारित शर्त क्रमांक 6.4.9 के क्रियान्वयन के प्रयोजन से प्रदेश की नगरीय स्थानीय निकायों में संपत्ति कर के आरोपण/वसूली की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और इस संबंध में नगरीय निकायों को मार्गदर्शन/सहायता प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश प्रापर्टी टेक्स बोर्ड का निम्नानुसार गठन करता है:—

(1)	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म. प्र. भोपाल	अध्यक्ष
(2)	परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय	सदस्य
(3)	अपर संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म. प्र. भोपाल	सदस्य
(4)	एक मेयर/आयुक्त, नगर निगम (राज्य शासन द्वारा नामांकित) (चक्रानुक्रम में)	सदस्य
(5)	एक अध्यक्ष/मुख्य नगरपालिका अधिकारी (राज्य शासन द्वारा नामांकित) (चक्रानुक्रम में)	सदस्य
(6)	दो विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा नामांकित)	सदस्य

2. मध्यप्रदेश प्रापर्टी टेक्स बोर्ड प्रदेश की नगरीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत आवासीय/वाणिज्यिक संपत्तियों पर सम्पत्तिकर की गणना, संपत्ति कर आरोपण की विद्यमान प्रक्रिया, उसके आरोपण/मूल्यांकन तथा पुनरीक्षण की प्रक्रिया की समीक्षा करेगा तथा इसमें सुधार तथा पारदर्शिता लाने के संबंध में अनुशंसाएं देगा.

3. मध्यप्रदेश प्रापर्टी टेक्स बोर्ड की अनुशंसाएं आवश्यक कार्यवाही के लिये संबंधित नगरीय निकायों को प्रेषित की जावेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.पी.एस. परिहार, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.